भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1598

10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष क्षेत्र में अनुसंधान

1598. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित अनुसंधान और वैज्ञानिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) क्रियाकलाप शुरु करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के साथ एक समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वे आयुष अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन पर संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप शुरु करने तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मंच तैयार करने पर सहमत हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौता ज्ञापन आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में आगे आवेदन करने के लिए अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या समझौता ज्ञापन शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, सरकार की एजेंसियों और उद्योगों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में सक्रिय रुप से लगे राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के व्यक्ति या समूह से आयुष से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के तहत प्रस्तावों के लिए विशेष मांगों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय ने 25 नवम्बर, 2022 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक हस्ताक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाना है।

(ख) से (घ): जी हां। आयुष मंत्रालय और डीएसटी ने आयुष अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण पर संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्यकलाप करने के लिए सहमति दी है।
समझौता ज्ञापन की विचारार्थ विषयों में उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्ष अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने तथा जनस्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में इसका अनुप्रयोग करने के लिए एक समिति का गठन करने पर सहमत हुए हैं जिसमें डीएसटी और आयुष मंत्रालय के सदस्य होंगे।

इस समझौता ज्ञापन में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों में अनुसंधान और तकनीकी विकास में सक्रिय रूप से संलग्न व्यक्ति अथवा राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के समूह से आयुष से संबंधित आरएंडडी कार्यकलापों के अंतर्गत केंद्रित प्रस्तावों पर भी ध्यान दिया गया है।

*****